


96

न्यायालय माननीय राजस्व प्रदत्त ग्वा लियर सर्किट कोर्ट रोवा म०प्र०



M.5070-III

जिला
रामबडोर , ब्याडारा, सिगरौली

निगराकार

M-

बनाम

कामता पटेल वरिड

गैर निगराकार

रामाश्रय जयसवाल
12-2-16

निगरानी क्र०- 5263/3/15,

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म०प्र० भू०
सं० 1959 ई० ,

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है:-

§1§ यह कि प्राचीं अधिवक्ता निगराकार रामबडोर की ओर से उक्त निगराकार दायरा विन्दु तर्क हेतु आज दि०- 12-2-016 को नियत थी ।

§2§ यह कि निगराकार द्वारा अधिवक्ता रामाश्रय जयसवाल , एडवोकेट आर अन्व्य प्रकरण सिविल न्यायालय मे थे जो पुनः र के समय इस प्रकरण मे उपस्थित नही हो सके है, जो जानबूझ कर गलती नडति की है, ऐसी स्थिति मे न्याय विधि मे एक पक्षीय जो अदम पैरवाजेनिरस्त किया गया है , उसे पुनःस्थापना कर दायरा विन्दु पर सुना जाना आवश्यक है ।

अस्तु निवेदन हैकि निगराकार की निगरानी अदम पैरवी जो निरस्त किया गया है, उसे पुनः दायरा विन्दु पर पुनःस्थापित किये जाने की कृपा की जाय ।

दि० 12-2-016,


प्राचीं / निगराकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० M.5070-III / 16

जिला-शहडोल

रामबहोर / कामता पटेल

(1)	(2)	(3)
20 .07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	